उ0प्र0 शासन

सहकारिता अनुभाग-1

संख्या-48/49-1-2023

लखनऊः दिनांक 10 फरवरी, 2023

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

केन्द्र पुरोनिधानित प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति (पैक्स) कम्प्यूटराइजेशन योजना के अन्तर्गत सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के सी०टी०पी० डिवीजन के पत्र संख्या आर-20011/2/2022-सीटीपी (पीटी.1) दिनांक 02.01.2023 जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत संशोधित गाईडलाइन में राज्य सरकार से हार्डवेयर का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से कराने एवं क्रय प्रक्रिया में सामान्य वित्तीय नियम (जी०एफ०आर०) एवं भारत सरकार व नाबार्ड द्वारा निर्गत गाईड लाइन्स का पालन करने का निर्देश दिया गया है। अतः इस सम्बन्ध में सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार व नाबार्ड (NABARD) एवं राज्य सरकार के वित्त विभाग, आई०टी० एवं इलेक्ट्रिानिक्स विभाग तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत एवं भविष्य में निर्गत किये जाने वाले दिशा निर्देशों के आलोक में पैक्स कम्प्यूटराइजेशन योजना हेतु हार्डवेयर क्रय किये जाने के लिए मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड (NABARD) लखनऊ की अध्यक्षता में निम्नवत क्रय समिति गठित की जाती है:-

1- मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, (NABARD) लखनऊ - अध्यक्ष।

2- अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक (बैंकिंग/अधि०), सहकारिता उ०प्र० लखनऊ - सह अध्यक्ष।

3- श्री अच्छे लाल सिंह यादव, विशेष सचिव, सहकारिता, उ0प्र0 शासन - सदस्य।

4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त द्वारा नामित अधिकारी (संयुक्त सचिव से अनिम्न) - सदस्य।

5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन द्वारा नामित अधिकारी (संयुक्त सचिव से अनिम्न) - सदस्य।

6- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आई०टी० एवं इलेक्ट्रानिक्स द्वारा नामित अधिकारी (संयुक्त सचिव से अनिम्न) - सदस्य।

7- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (एन०आई०सी०) - सदस्य ।

8- प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० डेस्को - सदस्य।

9- नाबार्ड द्वारा नामित/चयनित किये गये सिस्टम इंटीग्रेटर्स (एस०आई०) - सदस्य।

10- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० को आपेरटिव बैंक, लि० - सदस्य संयोजक।

11- 02 जिला सहकारी बैंक के सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी चक्रानुक्रम में जहां कम्प्यूटराइजेशन का कार्य नाबार्ड द्वारा पूर्ण कर लिया गया हो - सदस्य।

12- 02 प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति (पैक्स) के सचिव चक्रानुक्रम में - सदस्य।

इस सम्बन्ध में सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

2- उक्त क्रय समिति द्वारा पैक्स के कम्प्यूटराइजेशन हेतु सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नाबार्ड एवं राज्य सरकार के वित्त विभाग, आई०टी० एवं इलेक्ट्रिानिक्स विभाग तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत एवं भविष्य में निर्गत किये जाने वाले दिशा निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।

संलग्नक यथोक्त।

(अनिल कुमार सिंह)
अनु सचिव ।

संख्या-48(1)/49-1-2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिव, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, सी.टी.पी./आई.टी. डिवीजन अटल अक्षय ऊर्जा भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
2- अपर मुख्य सचिव, वित्त/अपर मुख्य सचिव नियोजन/अपर मुख्य सचिव आई०टी० इलेक्ट्रानिक्स विभाग उ०प्र० शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त कमेटी में अपने विभाग से सदस्य नामित करने का कष्ट करें।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सहकारिता विभाग को मा० मत्री जी के अवलोकनार्थ।
5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव सहकारिता, विभाग उ०प्र० शासन को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
6- आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र० लखनऊ।
7- निजी सचिव, विशेष सचिव, सहकारिता को विशेष सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
8- अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक (बैंकिंग/अधि०), सहकारिता उ०प्र० लखनऊ को उनके पत्र संख्या-5089/अधि०-पैक्स कम्प्यूटराइजेशन/दिनांक 25 जनवरी, 2023 के क्रम में।
9- मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड लखनऊ।
10- नाबार्ड द्वारा नामित किये गये एस०आई०।
11- प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० डेस्को लखनऊ।
12- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ।
13- राज्य सूचना अधिकारी एन०आई०सी०, लखनऊ।
14- समस्त अधिकारी/अनुभाग, सहकारिता विभाग उ०प्र० शासन।
15- गार्ड फाईल।

आजा से,

(अनिल कुमार सिंह)
अनु सचिव।